



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन, 1942 (श०)

संख्या- 495 राँची, शुक्रवार,

9 अक्टूबर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

07 सितम्बर, 2020

संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4419-- श्री गिरिजा शंकर प्रसाद, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक- 741ए/03, गृह जिला- भोजपुर) संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अपने वेतनमान में अगले आदेश तक अपर नगर आयुक्त, आदित्यपुर नगर निगम के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4420-- मो0 मुस्तकीम अंसारी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 810/03, गृह जिला- धनबाद) निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सरायकेला खरसावाँ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4421-- श्री सुधीर कुमार दास, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 741/03, गृह जिला- देवघर) अनुमण्डल पदाधिकारी, महुआडांड (लातेहार) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरिया, चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री दास को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत सिमरिया अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4422-- श्री राकेश कुमार, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला- भागलपुर) उप निदेशक, खेलकूद (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग) झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अपने वेतनमान में अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4423-- अनुमण्डल पदाधिकारी, श्री बंशीधर नगर (गढ़वा) के पद से स्थानांतरित श्री कमलेश्वर नारायण, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला- गोपालगंज) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, हुसैनाबाद (पलामू) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री नारायण को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत हुसैनाबाद अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

2. वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
